"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2007—आषाढ़ 1, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—श्री डी. डी. सिंह, भा. प्र. से. (सी जी : 2000) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जशपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2007

क्रमांक 311/528/2007/1-8/स्था.—श्री बी. रामेश्वर राव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4-6-2007 से 22-6-2007 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री राव के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री श्रीराम सेजकर, अवर सचिव, कक्ष-3 तथा श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, कक्ष-6 का कार्य अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री बी. रामेश्वर राव को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. रामेश्वर राव अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2007

क्रमांक ई-7-22/2004/1/2.— श्री एन. के. असवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 18-06-2007 से 26-06-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16,17-06-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री असवाल आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री असवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.— श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 11-06-2007 से 15-06-2007 (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9,10 एवं 16, 17-06-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक ई-7/26/2004/1/2.— श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से., विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 07-06-2007 से 13-6-2007 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल, आगामी आदेश तक विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मण्डल, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मण्डल के उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विकास आयुक्त-सह-सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2007

क्रमांक 305/288/2007/1-8 /स्था.—श्री सी. जे. खत्री, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 18-4-2007 से 1-5-2007 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. जे. खत्री को वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. जे. खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2007

क्रमांक 307/503/2007/1-8 /स्था.—श्री अजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 7-5-2007 से 14-5-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार पाण्डेय को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार पाण्डेय, अवकाश पर नहीं जाते तो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक 315/514/2007/1-8 /स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 260-61/339/2007/1-8/ स्था., दिनांक 28-4-2007 द्वारा श्री सुधाकर सोनवाने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12-5-2007 से 18-5-2007 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 28-4-2007 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2007

फा. क्रमांक 1623/4865/230/21-ब/छ. ग. /2007.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1281/21-ब/छ. ग./07 एवं 1282/230/21-ब दिनांक 02-02-07 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. आदेश क्रमांक 1277/1278/230/21-ब/छ. ग./दिनांक 02-02-07 की पंक्ति चार एवं पांच में "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर)" के स्थान पर "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर)" पढ़ा जावे.

2. आदेश क्रमांक 1281/230/21-ब/छ. ग./ की पंक्ति चार एवं पांच में "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर)" के स्थान पर "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर)" पढ़ा जावे.

3. पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1282/230/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 02-02-07 के क्रमांक 5 में श्री तेजराम राय "पूर्व अति. लोक अभियोजक कोरिया (बैकुण्ठपुर)" के स्थान पर पूर्व अति. लोक अभियोजक, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक एफ. 1-3/31/स्था./ज. सं. वि./2007.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यपालन अभियंताओं (सिविल) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर, स्थानापन्न रूप से, वेतनमान रुपये, 12000-375-16,500/- में पदोन्नत करते हुये, अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान में, पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम पद एवं वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नत कर जहां पदस्थ किया जाता है, स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर. के. नायक, कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग.	026	अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग.
2.	श्री जी. एम. शेख, कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर.	027	अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर.
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी. कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, रायगढ़.	029	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, रायगढ़.
4	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल.	32	अधीक्षण अभियंता, कार्या. प्रमुख अभियंता. जल संसाधन विभाग भोपाल (म. प्र.) प्रति नियुक्ति पर यथावत.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री रवीन्द्र नाथ मिश्रा, कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भू-जल एवं जल संसाधन सर्वे. मण्डल, रायपुर.	34	अधीक्षण अभियंता, भू-जल एवं जल संसाधन सर्वे. मण्डल, रायपुर.
6.	श्री हरभजन सोनी, कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, म. ज. प. बांध मण्डल, रूद्री	35	अधीक्षण अभियंता, म. ज. प. बांध मण्डल रूद्री.
7.	श्री गणेश चौधरी, कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, कार्या. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विभाग रायपुर.	36	अधीक्षण अभियंता, कार्या. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विभाग रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर यथावत)
8.	श्री कमल किशोर मान्धाता, कार्यपालन अभियंता/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, (रूपा.) कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर.	37	अधीक्षण अभियंता, (रूपा.) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर.
9.	श्री डी. आर. नाहिर, कार्यपालन अभियंता, कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर.	71	अधीक्षण अभियंता/परियोजना प्रशासक महानदी आयाकट परियोजना, रायपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2007

क्रमांक एफ 8-4/2007/11/6.— इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3522 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 22-05-2007 से 30-09-2007 तक की छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक एफ 1-17/2006/11/6 .— विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. सी. कानकिया, उप संचालक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-कोरबा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संयुक्त संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में पदोन्नत करता है.

2. पदोन्नति पश्चात् श्री एस. सी. कानकिया, को मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण (रोस्टर) का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राम्हणे, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2007

क्रमांक एफ 1-29/259/2004/13/1 .— ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-29/2004/454/13/1 दिनांक 8-12-2006 द्वारा श्री मनोज डे, सेवानिवृत्त सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर को दिनांक 9 दिसम्बर 2006 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 9 जून 2007 जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज डे को आगामी 9 दिसम्बर, 2007 अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन तक जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त करता है.

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें पूर्ववत् यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2007

क्रमांक एफ.- 2-8/2(3-जेल) 01 .— कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 के खण्ड (28) तथा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 559/1994/ आर. डी. उपाध्याय विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमावली में :-

1. **नियम 403 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-**

403 (एक) मां के साथ बालक :- शिशु जब अपनी माता के साथ बंदीगृह में हो, उससे एक विचाराधीन/दोषसिद्ध जैसा व्यवहार न किया जाये. ऐसा शिशु आहार, आश्रय, चिकित्सीय देखभाल, कपड़े, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधाओं का अधिकार के रूप में हकदार होगा. 403 (दो) महिला बंदी एवं उनके बच्चे :-

(अ) महिला बंदियों को अपने बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने साथ रखने का अधिकार होगा.

(ब) महिला बंदी के बच्चे 6 वर्ष आयु तक बच्चे को अपने साथ रखने की अनुमति दी जायेगी. 6 वर्ष की आयु के होते ही ऐसे बच्चे को महिला बंदी की इच्छानुसार उचित पालक को सुपूर्द कर दिया जावेगा या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी उचित संस्थान में भेज दिया जाएगा. यथासंभव बच्चे का स्थानांतरण उस शहर या नगर से बाहर स्थान में नहीं किया जावेगा जहॉ पर बंदीगृह स्थित हो.

(स) ऐसे बच्चे को सुरक्षित संरक्षण में रखा जावेगा जब तक कि उनकी माता मुक्त न हो जावें या बच्चा उस उम्र का न हो जो स्वयं अपना जीवनयापन कर सके.

(द) समाज कल्याण विभाग के गृह में सुरक्षित संरक्षण में रखे गये बच्चों को अपनी माता से सप्ताह में कम से कम एक बार मिलने की अनुमति दी जावेगी. इस संबंध में उचित व्यवस्था करेगी.

(इ) जब महिला बंदी की मृत्यु हो जाती है और वह पीछे एक शिशु छोड़ जाती है तो अधीक्षक संबंधित जिला दण्डाधिकारी को सूचित करेगा तथा वह शिशु की उचित देखरेख हेतु प्रबंध करेगा. यदि संबंधित रिश्तेदार शिशु की मदद करने में अनिच्छुक हो तो जिला दण्डाधिकारी बच्चे को राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गृह अथवा अनुमोदित संस्थान में रखेगा या शिशु को उचित देखरेख या पालन पोषण हेतु एक जिम्मेदार व्यक्ति को सुपूर्द करेगा.

403 (तीन) महिला बंदियों के बच्चों के लिए शिक्षा एवं आमोद प्रमोद :-

(अ) बंदीगृह में रहने वाले महिला बंदियों के शिशुओं को उचित शिक्षा एवं आमोद प्रमोद का अवसर प्रदान किया जावेगा एवं जब उनकी माता बंदीगृह में कार्य पर हो तो बच्चे को प्रधान परिचारिका/महिला पहरेदार के प्रभार में शिशुगृह में रखा जावेगा यह सुविधा पहरेदारों एवं अन्य महिलाकर्मी के बच्चों को भी कराई जावेगी.

(ब) महिला के बंदीगृह से लगा एक शिशुगृह एवं एक नर्सरी होनी चाहिए जहां पर महिला बंदियों के शिशुओं के देखरेख हो. 3 वर्ष के कम आयु के शिशुओं को शिशुगृह में रखने की अनुमति दी जावेगी एवं जो 3 से 6 वर्ष की आयु के मध्य में हो उनकी देखरेख नर्सरी में की जायेगी. बंदीगृह अधिकारी उपरोक्त शिशुगृह एवं नर्सरी का संचालन यथासंभव बंदीगृह के परिसर से बाहर करेगा.

403 (तीन-अ) महिला बंदियों को बच्चों के साथ ऐसे उप जेलों में नहीं रखे जायेंगे, जब तक कि उपरोक्त सुविधाएं जो वहां के उचित जैविक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नति के वातावरण के लिए सहायक हो, सुनिश्चित न की जा सके.

403 (तीन-आ) महिला बंदियों को बच्चों के साथ भीड़ भरे बैरकों में दोषसिद्ध महिलाओं, विचाराधीनों एवं अन्य हिंसक अपराधियों से अलग रखा जायेगा.

404 बंदीगृह में शिशु का जन्म :-

(अ) यथा संभव एवं यदि उसे उचित विकल्प हो तो अस्थायी दण्ड का स्थगन अवस्यक या आकस्मिक अपराधिक की दशा में किया जावे जिससे की एक गर्भवती कैदी बंदीगृह के बाहर अपना प्रसव करा सके. केवल आपवादिक प्रकरणों, जिनमें उच्च सुरक्षा का जोखिम हो या गंभीर प्रकृति के समान प्रकरणों में ऐसी सुविधा इंकार की जा सकती है.

404 (ब) यदि जन्म बंदीगृह में हुआ हो तो उसको स्थानीय जन्म पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत किया जावेगा परन्तु यह तथ्य की शिशु बंदीगृह में जन्मा है ऐसा जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज न किया जावे केवल स्थानीय पते का ही उल्लेख किया जावेगा.

404 (स) जहां तक परिस्थितियां अनुकूल हो बंदीगृह में जन्में शिशु के नामकरण संस्कार की सुविधा प्रदान की जावेगी.

405 (अ) एक महिला जो गर्भवती हो उसे बंदीगृह भेजने से पूर्व संबधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि प्रश्नाधीन जेल में प्रसव हेतु आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं होने के साथ ही साथ जन्म से पूर्व एवं जन्मोत्तर देखरेख की सुविधा ही माता एवं शिशु दोनों के लिए उपलब्ध हो.

405 (ब) जब एक महिला बंदी उसके प्रवेश के समय या उसके पश्चात् कभी भी गर्भवती पायी जाय या गर्भवती होने का संदेह हो तो महिला चिकित्सा अधिकारी

इस तथ्य को अधीक्षक को प्रतिवेदित करेगी यथाशीघ्र ऐसे बंदी की स्वास्थ्य की देखरेख, गर्भावस्था, गर्भावस्था की अवधि, संभावित प्रसव दिनांक सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकीय जांच का प्रबंध शासकीय जिला अस्पताल में महिला शाखा में की जायेगी. आवश्यक जानकारियां सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रवेश दिनांक दंडावधि, मुक्त होने की तिथि, गर्भावस्था अवधि, प्रसव की संभावित तिथि आदि दर्शाते हुये यह प्रतिवेदन महानिरीक्षक बंदीगृह को भेजी जावेगी.

405 (स) महिला बंदियों की स्त्रीरोग संबंधी जांच शासकीय जिला अस्पताल में की जावेगी.

Raipur, the 5th June

No.F-2-8/2 (3-Jail) 01.— In exercise of the powers conferred by clause (28) of section 59 of the Prisons Act., 1894 & in compliance of directions issued by Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 559/1994 R. D. Upadhyay V/s. State of Andhra Pradesh & others, the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Jail Manual 1968, namely :-

AMENDMENT

In the said manual :-

1. After rule 403, the following rules shall be inserted, namely :-

403 (i) Child with Mother :- None of the child of any female prisoner shall be treated as an undetrial/convict while in jail with his/her mother. Such a Child is entitled to food, shelter, medical care, colthing, education and recreational facilities as a matter of right.

403 (ii) Female prisoners and their children :-

(A) Female prisoners shall have the right to keep their children with them in jail till they attain the age of six years.

(B) Female prisoners shall be allowed to keep a child who has comleted the age of six years. Upon reaching the age of six years, the child shall be handed over to a suitable surrogate as per the wishes of the female prisoner or shall be sent to a suitable institution run by the Social Welfare Department. As far as possible, the chiled shall not be transferred to an institution outside the town or city where the prison is located.

(C) Such children shall be kept in protective custody until their mother is released or the child attains such age as to earn his/her own livelihood.

(D) Children kept under the protective custody in a home of the Department of Social Welfare shall be allowed to meet the mother at least once a week.

(E) When a female prisoner dies and leaves behind a child, the Superintendent shall inform the District Magistrate concerned and he shall arrange for the proper care of the child. and if the concerned relative (s) be unwilling to support the child, the District Magistrate shall either place the chiled in an approved institution/ home run by the State Social Welfare Department or hand the child over to a responsible person for care and maintenance.

403 (iii) Education and recreation for children of Female Prisoners :-

(A) The child of female prisoners living in the jails shall be given proper education and recreational opportunities and while their mothers are at work in jail, the children shall be kept in creches under the charge of a matron/female warder. This facility will also be extended to children of warders and other female prison staff.

(B) There shall be creche and a nursery attached to the prisaon for women where the children of women prisoners will be looked after. Children below three years of age shall be allowed in the creche and those between three and six years shall be looked after in the nursery. The prison authorities shall preferably run the said creche and nursery outside the prison premises

403 (iii-A) Women prisoners with children should not be kept in such sub-jails, where the above facilities are not available, unless proper facilities can be ensured which would make for a conducive environment there, for proper biological, psychological and social growth.

403 (iii-B) A female Prisoner having child/children shall be kept separately from other women convicts, undertrials and other violent criminals.

2. After rule 404 the following rules shall be inserted, namely :-

404 Child birth in prision : (A) As far as possible arrangements for temporary release/payrole (or suspended sentence in case of minor and casual offender) should be made to enable an expectant prisoner to have her delivery outside the prison. Only exceptional case constituting high security risk or cases of equilvalent grave descriptions can be denied this facility.

404 (B) Births in prison, when they occur, shall be registered in the local birth registration office. But the fact that the child has been born in the prison shall not be recorded in the certificate of brith that is issued. Only the address of the locality shall be mentioned.

404 (C) As far as circumstances permit, all facilities for the naming rites of children born in prison shall be extended.

3. After rule 405 the following rules shall be inserted, namely :-

405 Pregnancy : (A) Pregnant woman shall be provided with prenatal and postnatal facility, alongwith the child inside the Jail.

405 (B) When a woman prisoner is found or suspected to be pregnant at the time of her admission or at any time thereafter, the lady Medical Officer shall report the fact to the Superintendent. As soon as possible, arrange-ment shall be made toget such prisoner medically examined at the female wing of the District Government Hospital for ascertaining the state of her health, pregnancy, duration of pregnancy, probable date of delivery and so on. After ascertaining the necessary particulars, a report shall be sent to the Inspector General of Prisons, Stating the date of admission, term of sentence, date of release duration of pregnancy, possible date of delivery and so on.

405 (C) Gynecological examination of female prisoners shall be performed in the District Government Hospital.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सोरी, संयुक्त-सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक 350/382/30/1/सं./2007 .— राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्यकार/कलाकार को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि तथा दर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र.	नाम और पता	प्रतिमाह	अवधि
1.	श्री बाबूलाल चन्द्रा ग्रा. पो.-लखली, वि. ख. बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर.	700/-	1 अप्रैल 2007 से आजीवन पेंशन देय होगा.

उक्त आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26 मुख्य लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन 285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकार/कलाकार को वित्तीय सहायता 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2007-08 के बजट से विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तपेश चंद गुप्ता, उप सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक / 2310/बी-6/26/2004/14-2 .— राज्य शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4326/कृषि/2001, दिनांक 17-10-2001 द्वारा जारी "डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार" के नियम-4, 9, 10 एवं 11 प्रतिस्थापित करती है तथा नियम-8 के उपरांत नियम 8.1 एवं 8.2 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

नियम-4 : पुरस्कार संख्या एवं राशि : एक पुरस्कार, रुपये 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र.

नियम-8 : (पूर्ववत्)

8.1 : इस प्रतियोगिता में केवल ऐसे कृषक ही सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे, जिनकी कुल वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से हो.

8.2 : तकाबी/सिंचाई शुल्क/सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण न हो.

नियम-9 : चयन एवं मूल्यांकन का मापदण्ड : कृषक का चयन एवं मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा :-

1. विभिन्न फसलों का क्षेत्राच्छादन एवं फसल सघनता.

2. कृषि आदानों का उपयोग :-
   - (अ) प्रमाणित बीज.
   - (ब) कम्पोस्ट खाद, जैविक खाद, हरी खाद का उपयोग.
   - (स) मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक/सूक्ष्म तत्वों का उपयोग.
   - (द) पौध संरक्षण उपयोग.

3. समन्वित कीट प्रबंधन (आई. पी. एम.).

4. अंतरवर्तीय/मिश्रित फसल की जानकारी.

5. फसल बोनी पद्धति.

6. सिंचाई साधन पद्धति.

7. अंत: शस्य क्रियाएं.

8. उन्नत तकनीकी के प्रचार-प्रसार में कृषक का योगदान.

9. उन्नत तकनीकी के स्रोत.

10. कृषि के क्षेत्र में कृषक द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य.

11. उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग.

नियम-10 : जिला एवं विकासखंड स्तरीय डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार छानबीन समिति :-

प्रत्येक जिले में प्रतियोगी कृषकों के निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों में उल्लेखित तथ्यों के सत्यापन हेतु संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि द्वारा गठित विकासखंड स्तरीय समिति कृषकों के प्रक्षेत्रों में खरीफ एवं रबी/ग्रीष्म फसलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण, आवश्यक कृषि आदान/सिंचाई साधन/अभिलेख/अधोसंरचना का सत्यापन कर प्रतिवेदन जिला स्तरीय छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगी. विकासखंड स्तरीय समिति का गठन जिले के बाहर के अधिकारियों के नामांकन से संयुक्त संचालक, कृषि द्वारा किया गया जाएगा तथा इस समिति में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से निम्न स्तर के अधिकारी नहीं होंगे.

विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व अभिलेखों के आधार पर जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर जिले के 03 उत्कृष्ठ कृषकों का चयन कर निर्धारित तिथि के पूर्व राज्य शासन को जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित करेगी. जिला स्तरीय छानबीन समिति निम्नानुसार होगी :-

1.	जिलाध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक विधायक	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.	उप संचालक कृषि	सदस्य सचिव
5.	जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के सभापति	सदस्य
6.	उप/सहायक संचालक, उद्यान	सदस्य

नियम-11 : आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-

कृषकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि सामान्यत: 31 जुलाई होगी. तिथि निर्धारित करने का अधिकार जूरी को होगा. सामान्यत: राज्य के गठन के दिवस, संस्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कार वितरण किया जाएगा.

उक्त नियम वर्ष 2007 से प्रभावशील होगा. चूंकि वर्ष 2007 में पुरस्कृत किये जाने वाले कृषक का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय सीमा में सम्पादित नहीं किया जा सकेगा. अत: मात्र वर्ष 2007 के लिए कृषकों से आवेदन 30 जून तक प्राप्त कर मात्र खरीफ फसलों के आधार पर सत्यापन इत्यादि का कार्य कर कृषक का चयन किया जाएगा. वर्ष 2008 में सम्मानित किये जाने वाले कृषक के लिए आवेदन नियम 11 के पैरा 1 में उल्लेखित विधि से ही किये जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2007

क्रमांक 647/1306/32/06/.— छत्तीसगढ़ नगर तथा नगर ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 "क "-(1) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 2104/1306/32/06, दिनांक 30-10-2006 द्वारा दुर्ग-भिलाई (भाग-1) भिलाई विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना दुर्ग-भिलाई (भाग-1) भिलाई के उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (4)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	जुनवानी	837 (पार्ट)	0.48	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामाजिक भवन)

सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई (भाग-1) भिलाई विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण दुर्ग-भिलाई (भाग-1) भिलाई विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 12 जून 2007

क्रमांक/3172/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	पाढापुर	48.49	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं, उद्योग केन्द्र दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	टेलिंग डेम के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-स

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 जून 2007

क्रमांक 3367/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	कांड़े	2.11	अनु. अधिकारी तान्दुला जल-संसाधन अनुविभाग आदमाबाद.	नारागांव जलाशय में मुख्य नहर निर्माण में भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 जून 2007

क्रमांक 3367/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरूर	नारागांव	0.14	अनु. अधिकारी, तान्दुला जल-संसाधन अनुविभाग क्र. 1 आदमाबाद.	नारागांव जलाशय में मुख्य नहर हेतु अनिवार्य अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 जून 2007

क्रमांक 244/ले. पा./भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पेन्ड्रावन प. ह. नं. 29	1.19	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बेमेतरा.	नौकेशा से गाड़ाडीह मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 जून 2007

क्रमांक 903/प्र.1/भू-अर्जन/अ. वि. अ/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	धुमा प. ह. न. 26	1.214	कार्यपालन अभियंता, तादुंला ज/स संभाग दुर्ग.	कसही जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पाटन मु. दुर्ग एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक 3/ अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	खैराखुर्द प. ह. नं. 2	0.778	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल-संसाधन संभाग मुंगेली.	अपर आगर व्यप. योजना मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 मई 2007

प्रकरण क्रमांक. 11 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	गगरिया खम्हरिया प. ह. नं. 59	18.915	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन विभाग बेमेतरा जिला दुर्ग (छ. ग.).	झिपनिया जलाशय के अतिरिक्त डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 मई 2007

प्रकरण कमांक 12 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भनसुला प. ह. नं. 45	16 कच्चा मकान	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 मई 2007

प्रकरण क्रमांक 13 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बनखैरा प. ह. नं. 50	10 कच्चा मकान	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 13 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	अमलडीहा प. ह. नं. 06	10.265	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली जिला-बिलासपुर.	अपर आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 14 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	परसवारा प. ह. नं. 12	0.246	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 15 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	दशरंगपुर प. ह. नं. 12	2.111	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग [illegible] जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 16 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	लडुवा प. ह. नं. 10	1.602	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 4119/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चिरचारीकला प. ह. नं. 57	16.109	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दार्यीतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 4120/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	थैलीटोला प. ह. नं. 55	8.448	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दार्यीतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 4121/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पठानढोड़गी प. ह. नं. 55	9.057	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दार्यीतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 4122/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मुंजालकला प. ह. नं. 60	4.244	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दार्यीतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 4123/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मुंजालपाथरी प. ह. नं. 57	2.599	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दार्यीतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मई 2007

क्रमांक 4186/भू-अर्जन/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	विचारपुर	0.887	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना की बार्यी तट मुख्य नहर / लघु नहर निर्माण के लिए (अनुपूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मई 2007

क्रमांक 4187/भू-अर्जन/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टैयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	भुरभुसी	0.663	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना की बायीं तट मुख्य नहर / लघु नहर निर्माण के लिए (अनुपूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मई 2007

क्रमांक 4188/भू-अर्जन/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	खड़खड़ी	6.783	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना की बायीं तट मुख्य नहर / लघु नहर निर्माण के लिए (अनुपूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 7 जून 2007

क्रमांक/5373/ भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरवा
- (ग) नगर/ग्राम-झगहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	46/2	0.202
योग	1	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 जून 2007

क्रमांक/5373/ भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-नकटीखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.489 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	230/1	0.105
	245	0.101
	184/1	0.040
	360/1	0.101
	287/1 ख	0.142
योग	5	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/4194/ भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची -

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गुंगेरी नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.066 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
255	0.283
304/2	0.300
510	0.081
517/1	0.101
216	0.214
221/3	0.008
221/4	0.012
217	0.235
214/3	0.024

(1)	(2)
220	0.446
256/1	0.020
698/1	0.041
146/3	0.202
146/4	0.173
161/4	0.308
161/2	0.081
212/2	0.020
146/5	0.093
161/5	0.073
145	0.222
361	0.020
146/1	0.335
254	0.736
253	0.081
251	0.497
258	0.150
250	0.283
303	0.097
363/3	0.365
363/2	0.093
304/1	0.502
305	0.242
306	0.073
299/2	0.004
307	0.270
310	0.315
296	0.016
315	0.049
146/6	0.405
148	0.322
404/3	0.049
314	0.417
313	0.053
338	0.028
336	0.028
399/1	0.526
337/2	0.053
335/1	0.405
366	0.101
401	0.093
393	0.454
414/1	0.570
392	0.041
402/1	0.105
388	0.004
413	0.097
403/1	0.166
395/1	0.061
364/3	0.166
213/1	0.291
395/3	0.105
395/6	0.085
213/2	0.231
213/3	0.105
395/5	0.081
395/2	0.510
396	0.162
147/1	0.383
397	0.202
400	0.413
402/2	0.138
403/2	0.057
114/2	0.004
415	0.045
410/1	0.405
408	0.510
410/2	0.474
409	0.413
252	0.020
407/2	0.117
412	0.101
411	0.425
407/3	0.012
156/1	0.024
155/1	0.056
156/2	0.121
155/2	0.057
158/1	0.383
157/2	0.186
157/3	0.041
312/1	0.166
312/2	0.166
363/1	0.012
364/2	0.162
363/4	0.141
337/3	0.024
364/1	0.081
208/1	0.012
208/2	0.425
209/1	0.069
512/1	0.073
511/1	0.486
511/5	0.255
511/2	0.053
511/3	0.295
511/6	0.194
511/7	0.012
511/4	0.290
214/1	0.004

(1)	(2)
367	0.020
214/2	0.008
219/1	0.186
398	0.154
394/1	0.145
404/1	0.202
404/2	0.024
81	0.041
215/1	0.152
337/1	0.145
337/4	0.234
337/5	0.450
299/5	0.065
311/2	0.254
योग 123	22.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखा नाला बैराज डोंगरगांव, मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/4195/ भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-घुघवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.436 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/1	0.016
26/1	0.049
29/4	0.242
29/6	0.283
29/2	0.057
29/3	0.316
29/5	0.142
58/2	0.004
58/1	0.057
62	0.049
24	0.085
25	0.089
59	0.061
60	0.028
63	0.101
64	0.061
61	0.040
18	0.093
67/1	0.137
67/2	0.097
69/1	0.008
69/6	0.105
69/2	0.109
69/4	0.073
69/7	0.041
69/3	0.041
69/5	0.040
94	0.085
96/1	0.024
96/2	0.914
95/1	0.769
97	0.405
98	0.423
65	0.024
66	0.040
19	0.004
3	0.008
95/2	0.315
योग 38	5.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखा नाला बैराज डोंगरगांव, मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/4196/ भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : —

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-कासमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
173	0.338
174	0.466
175	0.101
176	0.162
177	0.242
178	0.141
179/1	0.081
222	0.081
179/2	0.053
180	0.032
189/1	0.466
128/2	0.194
189/2	0.012
210	0.330
211/2	0.016
211/1	0.016
130/3	0.146
128/1	0.510
130/4	0.016
124/1	0.130
228/1	0.113
127/1	0.149
228/2	0.069
227/2	0.041
231/1	0.012
233/1	0.093
232/1	0.262
223/1	0.008
223/6	0.162
223/7	0.141
223/5	0.012
226/2	0.032
241/1	0.290
241/5	0.008
224	0.045
225	0.567
240	0.510
241/3	0.370
130/5	0.016
241/4	0.226
227/4	0.089
170/1	0.101
232/2	0.134
191/1	0.041
182/1	0.020
योग 45	7.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखा नाला बैराज डोंगरगांव, मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/4197/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.461 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
87/1	0.186
86/1	0.283
87/2	0.121
4	0.304
3/1	0.125
3/2	0.008
9/2	0.445
6	0.526
8	0.437
9/3	0.073
13/4	0.425
13/5	0.170
11/2	0.041
13/3	0.387
15	0.142
13/2	0.028
19/5	0.230
14/3	0.182
19/8	0.182
19/7	0.097
18/3	0.089
18/2	0.340
19/10	0.016
18/1	0.380
19/4	0.262
19/12	0.073
17/10	0.186
17/8	0.081
17/2	0.101
88/3	0.310
14/2	0.008
14/1	0.215
17/7	0.008
योग 33	6.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखा नाला बैराज डोंगरगांव, मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/4198/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6/2	0.809
3	2.132
7	0.789
6/1	1.626
17	0.363
8/1	0.093
8/2	0.186
19/1	0.338
21	0.405
24	0.077
69/2	0.130
25	0.283
23	0.182
28/2	0.125
28/1	0.390
29/1	0.121
57	0.173
30/1	0.101
32	0.290
46/2	0.506
49	0.081
50	0.020
48	0.242
30/2	0.085
46/1	0.379
51/1	0.032
51/5	0.069
51/2	0.053
51/6	0.069
60/5	0.303
60/6	0.162
59	0.713
58	0.355
70	0.775
69/1	0.097
68	0.242
67	0.433
66/1	1.177
66/2	0.910
6/3	0.810
8/3	0.085
16/4	0.012
29/6	0.226
47/1	0.153
61/3	0.145
16/5	0.073
20/1	0.093
20/2	0.089
9/6	0.113
47/2	0.049
योग 50	17.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखा नाला बैराज डोंगरगांव, मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.